

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर

क्रमांक:- एफ (4)(ई)(1)(6) क0ले0प्रशि0/अलेसे-III/2017/3147

दिनांक :- 18-3-19

श्रीमान महानिदेशक,
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर- 302017

विषय :- दिनांक 18.02.2019 से 12.04.2019 की अवधि में आयोजित संस्थानिक प्रशिक्षण की विभागीय परीक्षा में पूर्व में अनुत्तीर्ण रहे क. लेखाकारों को अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र की परीक्षा में पुनः शामिल करने बाबत।

प्रसंग:- आपका पत्र क्रमांक प.11(18)रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/कले/2017 3772-79 दिनांक 04.05.2018, क्रमांक प.11 (03) रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/कले/2017 12721-28 दिनांक 23.08.2018, क्रमांक पं.11 (09)रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/कले/2018 15006 दिनांक 11.10.2018, क्रमांक प.11 (14) रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/कले/2018/ 19799-807 दिनांक 29.01.2019

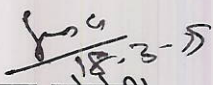
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को दिनांक 03.10.2017 से 03.08.2018 तक की अवधि में आयोजित क. लेखाकार संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की विभागीय परीक्षा के जारी परिणामों में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिन्हें एक ओर अवसर प्रदान करते हुए अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र की परीक्षा में पुनः सम्मिलित किया जाना है। अतः उनको माह अप्रैल 2019 में आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा में सम्मिलित करने की व्यवस्था करावे :-

क्र. सं.	क.0ले का नाम एवं मेरिट संख्या	लिंक नं.	पदस्थापन कार्यालय	ह.च.मा. (रीपा) का स्थान	अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र का नाम एवं संख्या
1	रमेश कुमार मेघवाल (1407/2013)	10209	चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गोगून्दा, उदयपुर।	उदयपुर	बजट नियमावली, राज. कोषागार नियमावली एवं आई.एफ.एम.एस. एवं अन्य नियम (तृतीय)
2	खेमराज मीणा (3289/2013)	12151	बी.सी.एम.ओ. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लासड़िया, उदयपुर।	उदयपुर	बजट नियमावली, राज. कोषागार नियमावली एवं आई.एफ.एम.एस. एवं अन्य नियम (तृतीय)
3	प्रेम प्रकाश मीना (2703/2013)	11341	जिला अल्पसंख्यक कल्याणाधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात्, बारा।	कोटा	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
4	रजनी पूनिया (525/2013)	10458	कोषाधिकारी (ग्रामीण), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।	जयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
5	दिनेश चंद मुण्डोतिया (1387/2013)	11895	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवर प्रबंध मण्डल, जयपुर।	जयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
6	कोमल जाट (1534/2013)	12078	अधिकाधी अभियंता, खण्ड, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शाहपुरा, जयपुर।	जयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)

7	मेहनंद सरगडा (2732/2013)	10385	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, बांसवाड़ा।	उदयपुर	बजट नियमावली, राज. कोषागार नियमावली एवं आई.एफ.एम.एस. एवं अन्य नियम (तृतीय)
8	अमित वतुर्वेदी (3012/2013)	12819	जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग (प्रारम्भिक), झालावाड़।	कोटा	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
9	पन्ना लाल बरांडा (3477/2013)	11609	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पंचायती राज विभाग, झोंत्री, डूंगरपुर।	उदयपुर	राजस्थान सेवा नियम तथा वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील नियम (प्रथम)
10	रमेश चंद्र परमार (3452/2013)	11603	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, आसपुर, डूंगरपुर।	उदयपुर	बजट नियमावली, राज. कोषागार नियमावली एवं आई.एफ.एम.एस. एवं अन्य नियम (तृतीय)
11	हनुमान प्रसाद गीणा (2760/2013)	10177	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, अजमेर।	उदयपुर	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (द्वितीय), वाणिज्यिक लेखें स्थानीय निधि अंकेक्षण नियम, सार्वजनिक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम तथा वन लेखें (चतुर्थ)

संलग्न:- आवेदन पत्र


(मुकुन्द सोहानी)
उपनिदेशक

क्रमांक:- एफ (4)(ई)(1)(6) क0ले0प्रशि0/अलेसे-III/2017/3147 दिनांक :- 18-3-19
प्रतिलिपि गिन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक एवं परीक्षा समन्वयक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर-302017,
2. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), उदयपुर-313001
3. अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), कोटा-324001
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कनिष्ठ लेखाकार को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित तिथि को आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करावें।
5. समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रेषित कर लेख है कि वे अनुत्तीर्ण प्रश्न पत्र की विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संलग्न आवेदन पत्र भरकर ह.च.मा (रीपा), जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर में जमा करावें एवं माह अप्रैल 2019 में आयोजित होने वाली विभागीय परीक्षा में रोल नं. आवंटन करवाकर उक्त परीक्षा में सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।
6. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित/पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)

सूची 1
विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन पत्र

नियम 9(1) देखें

1. आवेदक का नाम (साफ अक्षर में)
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. सेवा का नाम (नियुक्ति आदि परिविक्षाधीन स्थाई/अस्थायी, कृपया इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)
5. पद एवं नियुक्ति का स्थान
6. यदि विभागीय परीक्षा में नियमों के अन्तर्गत पहले कभी बैठे हो तो तिथि एवं जिन प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हो गये हो, उल्लेख करें ।
7. गत परीक्षा की पंजीयन संख्या यदि कोई हो तो
8. सेवा का नाम जिसकी विभागीय परीक्षा में बैठना चाहते हैं।
9. प्रश्न-पत्र जिसमें बैठना चाहते हैं।
(इसका स्पष्ट उल्लेख करें)
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

दिनांक -

आवेदक के हस्ताक्षर एवं _____

पद _____

पूरा पता _____

हस्ताक्षर प्रमाणित किये जाकर आवेदन पत्र एवं पंजीयक विभागीय परीक्षाओं (समस्त राज्य सेवायें) एवं निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017 को प्रेषित है।

आवेदक के उच्च अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं पद

नोट- आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश पीछे दिये गये हैं । जिस प्रश्न पत्र में छूट चाहे उसका क0स0 9 में स्पष्ट उल्लेख करें ।

क्र० सं० _____

पंजीयन संख्या _____

श्री _____ जो _____

_____में है और इस समय _____के पद पर कार्य कर रहे हैं, को
विभागीय परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती हैं । जो कि दिनांक _____से
_____तक हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में होगी ।

उनकी पंजीयन संख्या ऊपर अंकित की गई है । भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय इसका उल्लेख करना आवश्यक है ।

पंजीयक
विभागीय परीक्षायें (समस्त राज्य सेवायें) एवं
निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य
लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017

आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देश -

1. आवेदन पत्र प्रार्थी को स्वयं अपने हाथ से स्याही से भरना चाहिये ।
2. अपना नियुक्ति स्थान पूर्ण एवं स्पष्ट लिखें जिससे रोल न० प्राप्त होने में विलम्ब न हो ।
3. उच्च अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करने से पूर्व उसमें की गयी पूर्तियों की सत्यता की जाँच कर लेनी चाहिये ।
4. हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम लिखना चाहिये ।
5. पंजीयक विभागीय परीक्षाएँ से प्राप्त रोल न० स्लिप नोट संभाल कर रखना चाहिये । इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये परीक्षा अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करनी होगी ।
6. परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र (टंकित, मुद्रित, फोटोस्टेट) तथा उत्तर-पुस्तिकाएँ दी जावेगी। अन्य लेखन सामग्री स्वयं का लानी होगी ।
7. जिन प्रश्न पत्रों के नियम, आदेश के उपयोग की छूट है । उसमें केवल वही नियम, आदेश की इजाजत होगी जिनके साथ टिप्पणी नहीं होगी ।
8. आवेदन पत्र के क्र०स० 4 के सामने स्पष्ट रूप से यह भी बताना चाहिये कि विभागीय परीक्षा के लिये किस प्रावधान के अनुसार विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र है ।
9. जिन प्रश्न पत्रों से छूट चाही है उनके लिये आवश्यक प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ भेजें, जैसे हिन्दी प्रश्न पत्र से छूट चाहने के लिये हाई स्कूल एवं उच्च परीक्षा हिन्दी विषय सहित उत्तीर्ण कर लेने के परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ भेजें ।
10. अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।